

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

कमांक एफ. 7(7)वित्त/कर/2026

जयपुर, दिनांक- 20-03-2026

आज्ञा

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशांषा के आधार पर कार्मिक (क-4/2) विभाग की अशा. टीप कमांक प. 9(80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 के नियम-6 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर में फाउण्डेशन कोर्स (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में फाउण्डेशन कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी:-

क्र. सं.	मेरिट	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/सर्वश्री/श्रीमती)	वर्ग	जन्मतिथि	Quota	विशेष विवरण
1.	113	1111982	POOJA PAREEK	GE,WE	16-01-1996	GF-QT	
2.	146	1117591	SURESH PUROHIT	GE	06-08-1989	GM-QT	
3.	185	1104565	MUKESH KUMAR	BC,RG	11-05-1985	GM-AG	
4.	192	1103541	ANKITA RATHORE	GE,WE	24-08-1997	GF-QT	
5.	210	1101078	MANISH CHHABA	GE	06-12-1998	GM-QT	
6.	224	1101604	SHANTANU SHARMA	GE	06-02-1994	GM-QT	प्रोविजनल
7.	230	1104463	PRAKASH CHANDRA	BC	18-08-1988	GM-AG	
8.	235	1101007	ARJUN PAREEK	GE	17-03-1993	GM-QT	
9.	238	1100882	LOKESH KUMAR	BC	22-10-2002	GM-AG	
10.	239	1102556	SUSHEEL KUMAR BEDA	GE	15-03-1990	GM-QT	प्रोविजनल
11.	246	1114685	JITENDRA KUMAR	BC	09-11-1999	GM-AG	
12.	247	1103485	BHANUPRAKASH YADAV	BC	22-06-2000	GM-AG	
13.	248	1101732	ANURAG KUMAWAT	BC	08-11-2000	GM-AG	
14.	250	1108271	RADHA	BC,WE,RG	06-07-1994	GF-AG	
15.	252	1107652	PRERNA MAVALIYA	BC,WE	26-01-2002	GF-AG	
16.	253	1116666	AKANKSHA DEORA	GE,WE	26-08-1994	GF-QT	प्रोविजनल
17.	258	1116689	NARASI RAM BISHNOI	BC	08-01-1990	GM-AG	
18.	259	1110697	SHEETAL DHAKAD	BC,WE	09-08-1997	OF-QT	
19.	264	1108256	DEVENDRA KUMAR SAINI	BC	10-04-1997	OM-QT	
20.	265	1110861	PRIYANKA	BC,WE	05-09-2000	OF-QT	
21.	274	1111150	HEMANT SINGH	BC,RG	03-03-1997	OM-QT	
22.	278	1114889	BHAJAN LAL	BC,ME,RG	19-11-1995	OM-QT	
23.	284	1101706	MUKESH	BC	28-06-2002	OM-QT	प्रोविजनल
24.	294	1105042	VIJAY KUMAR BHAL	EWS,RG	06-06-1993	EM-QT	
25.	303	1105254	KAPIL DEV GARG	EWS	02-01-1997	EM-QT	प्रोविजनल
26.	365	1114721	AJAY PAL SINGH	BC,NG,RG	30-03-1996	OM-NG	

atn

27.	370	1101593	MADAN LAL NETWAL	BC,ME,NG,RG	12-02-1995	OM-NG	
28.	373	1100485	PREM SANDU	BC,NG,RG	07-08-1996	OM-NG	
29.	381	1101183	DEEPAK GADOLIYA	MB	05-04-2002	MM-QT	प्रोविजनल
30.	389	1100857	RAJENDRA KUMAR	BC,NG	27-12-1993	OM-NG	
31.	390	1115369	NARPAT SINGH	EWS,NG,RG	15-11-1997	EM- QT,NG	
32.	397	1106872	VATAN MISHRA	EWS	06-06-1987	EM-QT	
33.	420	1108320	PRIYANKA GOYAL	EWS,WE	10-07-2001	EF-QT	
34.	432	1109433	DIVYA MUNJAL	EWS,WE,RG	06-04-1997	EF-QT	
35.	478	1113359	DINESH GURJAR	MB	30-12-1999	MM-QT	
36.	766	1112294	KAILASH CHANDRA GURJAR	MB	10-06-1996	MM-QT	प्रोविजनल
37.	855	1111542	SAMIKSHA GURJAR	MB,WE	05-07-1999	MF-QT	प्रोविजनल
38.	939	1106506	GYAN BHARTI MEENA	ST,WE	09-11-1995	TF-QT	प्रोविजनल
39.	964	1118519	KUSUM MEENA	ST,WE,RG	12-08-2000	TM-AG	
40.	1031	1103071	RAM KESH MEENA	ST	20-03-1995	TM-QT	
41.	1047	1107858	RAVINDRA KUMAR MEENA	ST	20-10-2001	TM-QT	
42.	1050	1108326	RAVI KUMAR MEENA	ST	10-07-1990	TM-QT	
43.	1054	1105406	MANISH KUMAR MEENA	ST,RG	30-03-1995	TM-QT	
44.	1055	1113217	ABHISHEK MEENA	ST	24-06-1995	TM-QT	
45.	1160	1114683	BHUPENDRA MAURYA	SC	17-10-1999	CM-QT	
46.	1315	1115613	SHARWAN KUMAR	SC	05-01-1999	CM-QT	
47.	1335	1103129	VIVEK KUMAR	SC	08-03-1999	CM-QT	प्रोविजनल
48.	1344	1110426	SANJEEV KUMAR	SC	04-10-1998	CM-QT	
49.	1357	1110704	AMIT KUMAR	SC,RG	30-06-1997	CM-QT	
50.	1371	1111514	MAHAVEER SINGH	GE,EX	01-10-1984	GM-EX	
51.	1383	1100788	AMAN SOLANKI	SC	22-06-1999	CM-QT	
52.	1386	1106905	PUSHPENDAR GHOYAL	SC	03-09-1989	CM-QT	प्रोविजनल
53.	1389	1104288	HEMLATA MAHAWAR	SC,WE	20-08-1995	CF-QT	
54.	1391	1115044	CHATU RAM	SC	05-03-1996	CM-QT	प्रोविजनल
55.	1396	1116913	VASUDEV	SC	04-07-1999	CM-QT	
56.	1498	1120314	HARSHITA BILOLIYA	SC,WE	11-07-2002	CF-QT	
57.	1532	1112110	RINKI ARYA	SC,WE,RG	01-02-1991	CF-QT	
58.	1580	1100224	DINESH KUMAR MEENA	ST,LD,NG,RG	09-12-1985	TM-LD	
59.	1600	1100622	GOMTI	SC,WE	07-05-1998	CF-QT	
60.	1870	1108949	SHRADDHA	GE,WE,WD	10-01-1996	GF-WD	
61.	1877	1109936	ASHA AGGARWAL	GE,WE,WD	29-03-1986	GF-WD	
62.	1910	1111411	PRIYANKA	BC,WE,WD,RG	04-04-1986	OF-WD	
63.	2007	1109284	NAVEEN	GE,LD,LV,ME	16-04-1998	GM-MD	
64.	2014	1102285	EKATA KANWAR RANAWAT	EWS,WE,WD	05-05-2000	EF-WD	
65.	2115	1106538	PINKA	SC,WE,WD	01-05-1992	CF-WD	
66.	2130	1118931	REKHA MEENA	ST,WE,WD,RG	10-05-1981	TF-WD	
67.	2158	1101952	SAURABH GUPTA	GE,HH,LV	29-05-1997	GM-HI	प्रोविजनल

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:-

1. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यक्ष रहेगी।
2. उक्त नियुक्ति आदेश एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5847/2025, 9210/2025, 9092/2025, 9253/2025, 9338/2025, 9595/2025, 3318/2025, 7475/2025, 15003/2025, 15372/2025, 15660/2025, 4167/2026 एवं उक्त परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यक्ष रहेगा।

an

3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 एवं प. 15(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2014 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
6. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियमों के नियम 6 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यक्षीन है।
8. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 09.30 बजे (कमरा नं. 5134, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर) में प्रस्तुत करेंगे।
13. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 09.30 बजे अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित निम्नलिखित सामग्री के साथ हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे:-

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण
1.	प्रशिक्षण सत्रों हेतु औपचारिक वेशभूषा- पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए ग्रे पेंट और व्हाइट शर्ट एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए हल्के रंग की साड़ी।
2.	विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)
3.	पासपोर्ट साईज फोटो की 03 फोटो + स्टाम्प साईज फोटो की 03 प्रतियां
4.	बैंक अकाउन्ट का विवरण (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति स्वप्रमाणित, एक

दि.

	कंसिल चैक)।
5.	पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
6.	जन-आधार कार्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
7.	कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र।

14. अभ्यर्थियों के लिए हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है तथा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को स्वयं के परिवार किसी भी सदस्य को रखने की अनुमति नहीं होगी।
15. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट [www.hcmripa.gov.in](http://www.hcmripa.gov.in) पर उपलब्ध है।
16. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए (उनके नाम के आगे प्रोविजनल अंकित किया गया है।) इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है एवं उस प्रकरण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है तो उसके संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2029 एवं 26.10.2021 के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।
17. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
18. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
19. कोई अभ्यर्थी राजकीय/केन्द्रीय/निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थान में नियोजित है तो वहां से कार्यमुक्त होकर कार्यमुक्ति आदेश तथा उस विभाग की विभागीय जांच नहीं होने/होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
20. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (परिशिष्ट-ब)
21. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि से 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को नहीं भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
22. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थल पर संलग्न प्रपत्रों में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

  
(वरुण मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से (जो विवाहित हो) के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति एवं प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।

2. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग को उनकी अशा० टीप क्रमांक प. 9 (80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के क्रम में।
9. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
12. नोडल अधिकारी- श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अतिरिक्त आयुक्त (निदेशक, राज्य कर अकादमी, जयपुर) (मोबाईल नम्बर 9784965135), सहायक नोडल अधिकारी- श्री राहुल मीणा, उपायुक्त (अतिरिक्त निदेशक, राज्य कर अकादमी, जयपुर) (मोबाईल नम्बर 9414471318) एवं श्रीमती कविता पाठक, उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर संभाग, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक संसाधन एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं अभ्यर्थियों के आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किये जाने का श्रम करावें।
13. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. समस्त प्रशिक्षणार्थी/अभ्यर्थीगण।
15. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

शासन सचिव,  
वित्त (राजस्व) विभाग,  
शासन सचिवालय, जयपुर।

वर्तमान पासपोर्ट  
साईज फोटो

विषय:- राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा प्रशिक्षु बैच-2023 में प्रशिक्षण पर उपस्थिति पर  
व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी का चयन राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा संवर्ग में होने  
के फलस्वरूप आदिनांक..... को प्रातः/दोपहर/शाम ..... बजे हरिश्चन्द्र माथुर  
लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति प्रस्तुत कर आदिनांक की स्थिति में प्रार्थी  
की व्यक्तिगत सूचना निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र.स.	चाही गई सूचना	विवरण
1	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्मतिथि	
4	दूरभाष नं०	
5	ई-मेल आई.डी.	
6	स्थायी पता	
7	वर्तमान पता	
8	मूल निवास स्थान (मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर)	
9	मोबाईल नं०	
10	आपातकालीन मोबाईल नं०	
11	दिनांक 27.12.2021 की स्थिति में सन्तानों की सूचना का विवरण	
12	अन्तिम शैक्षणिक योग्यता	
13	पूर्व में राज्य सेवा में होने की स्थिति में प्रथम नियुक्ति दिनांक	
14	विवाहित अथवा अविवाहित	
15	वर्तमान स्थिति में विभागीय जांच/एफआईआर/न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में सूचना का पूर्ण विवरण	

at

हस्ताक्षर मय दिनांक

(रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावे)

एकल शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
निवासी.....

रोल नं0..... राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पद पर अभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 की पूर्ण प्रक्रिया में एवं अभिस्तावित पद हेतु निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्रों के निर्माण हेतु स्वयं उपस्थित रहा/रही हूँ। मेरे द्वारा, मेरे स्थान पर उक्त भर्ती परीक्षा में किसी भी स्तर पर डमी अभ्यर्थी नहीं बिठाया गया/गयी है।
2. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह दिनांक .....को हुआ। विवाह के समय मैं या मेरे घरवालों द्वारा न तो दहेज लिया है। न ही दहेज दिया गया है।

अथवा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह/पुनर्विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या घरवाले ना तो दहेज लेंगे/ना ही दहेज देंगे तथा भविष्य में विवाह होने पर 01 माह में विभाग को अवगत करवाते हुये दहेज नहीं लेने/देने के संबंध में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दुंगा/दुंगी।

3. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या.....थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		

दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या.....है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		

4. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विभाग में जो शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं वह बिल्कुल सही एवं सत्य है।
5. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने में कोई आपराधिक वाद/मुकदमा दर्ज नहीं है, जिसके प्रमाण स्वरूप मैंने पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है यदि इसके बावजूद भी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में आता है, तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए मैं प्रार्थी पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
6. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उक्त पद हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति देता/देती हूँ।
7. मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखे का सेवन नहीं करता/करती हूँ।
8. मैं शपथ पूर्वक शपथ लेता/लेती हूँ एवं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी तथा अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 78 सही व सत्य है। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर साक्षी है।

शपथग्रहिता

स्थान:

दिनांक: